**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1775**

**28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : महाराष्ट्र में सूखा**

**1775. श्री संजय राउतः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय दल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि राज्य लगातार सूखे का सामना कर रहा है;

**(ख)** यदि हां, तो खरीफ के मौसम के दौरान सूखे से प्रभावित हुए लघु, सीमांत किसानों की संख्या सहित फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(ग)** यदि हां, तो केन्द्रीय दल अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपेगा जिसमें राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया जाएगा?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

**(क) एवं (ख) :** महाराष्‍ट्र सरकार ने खरीफ मौसम 2018 के दौरान राज्‍य में सूखा घोषित किया है और राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने वाला एक ज्ञापन प्रस्‍तुत किया है। प्रस्‍तुत किए गए ज्ञापन के अनुसार, कुल 69,26,284 छोटे और सीमांत किसान खरीफ-2018 के दौरान सूखा से प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्‍त ज्ञापन के अनुसार कपास, ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का, सोयाबीन, तूर, उड़द की फसलें एवं फल की फसलें क्षतिग्रस्‍त हुई हैं।

**(ग) :** अंतर-मंत्रालयी केन्‍द्रीय टीम ने 04 से 07 दिसम्‍बर, 2018 को राज्‍य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आईएमसीटी रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार नहीं है। मौजूदा पद्धति के अनुसार, आईएमसीटी की रिपोर्ट राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) के समक्ष रखी जाती है। इसके बाद, एससी-एनईसी की सिफारिशों पर गृह मंत्री की अध्‍यक्षता वाली उच्‍च स्‍तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्‍तीय सहायता की मात्रा का अनुमोदन करने के लिए विचार किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*